

संख्या

1410

पत्रावली सं०- GHD2067

दिनांक 16/10/17.



उत्तराखण्ड शासन

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 161/2015 - 2016

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन, : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार को आज उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 13/10/2020 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 15/10/2015 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
फर्स, उत्तराखण्ड चिन्स
हरिद्वार
15/10/15